न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी सुश्री रक्षा पारीक (आरएएस)

प्रा0पत्र संख्या 78/2016

रामदेव पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक

प्राथी

बनाम

अप्रार्थी

1.तहसीलदार पीपलू

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय

प्रार्थी रामदेव पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी पीपलू तहसील पीपलू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि आराजी ख0न0 2450/2 रकबा 08 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू तह0पीपलू में स्थित है जिसमें प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम रामदेव के स्थान पर रामदयाल अंकित कर दिया जो गलत है परिवार गॉव में धरेलू नाम रामदयाल से पुकाराने से इस कारण प्रार्थी का नाम रामदयाल अंकित कर दिया है जो गलत है जबकी राशनकार्ड पहचान कार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब की रिपोर्ट रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम रामदेव होना अंकित किया है । अतः प्रार्थी का नाम रामदयाल के स्थान पर रामदेव दुरूस्त किया जाना न्याय संगत एवं आवश्यक है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की और से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाम रामदेव करने का जवाब पेश किया है ।

हमने बहस सुनी प्रस्तुत पत्रावली में उपल्बध अन्य दस्तावेजात व तहसीलदार पीपलू के जवाब स्वीकार करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता है कि भूमि आराजी ख0न0 2450/2 रकबा 08 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू तह0पीपलू के रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामदयाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर रामदेव पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा दुरूस्त किया जावे।

आज दिनांक 17.3.2017 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक